सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल – 462016
फोन- 0755-2556916, ई-मेल-dir.socialjustic@mp.gov.in

क्रमांकI/517810/2025 भोपाल.दि25-09-2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
जिला समस्त, म.प्र.

विषय:- दिनांक 10/09/2025 को आयोजित वी.सी.के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--000--

दिनांक 10/09/2025 को विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। विडियो कॉन्फ्रेन्स में निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

1. सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में अधिक समय से लंबित शिकायतों के संबंध में संबंधित जिला अधिकारी एवं सामा.सुरक्षा अधिकारीयों से चर्चा करने के उपरांत आगामी वी.सी. से पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
2. विभाग की 100 दिवस से लंबित शिकायतों के संबंध में जिला इंदौर, भिण्ड जिले में 100 दिवस से लंबित शिकायते अधिक संख्या में पाई गई है। 30 दिवस से अधिक शिकायते सबसे ज्यादा लंबित है इस संबंध में समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कर प्राथमिकता के आधार पर उक्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।
3. सी.पी. ग्राम पोर्टल से प्राप्त लंबित शिकायतो का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. विभागीय पोर्टल पर समस्त शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं (वरिष्ठ आश्रम, नशामुक्ति केन्द्र एवं विशेष विद्यालय) को On Board किये जाने हेतु सतत् निर्देशित किया जा रहा है, किन्तु समस्त संस्थाएं On Board नही हुई है, अत: 30 सितम्बर 2025 तक समस्त संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर On Board कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं एवं डी.डी.आर.सी. का निरीक्षण मोबाईल एप्प से प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से कराया जाना है। किन्तु मोबाईल एप्प से निरीक्षण समस्त जिलों में नही कराया जा रहा है। अत: प्रतिमाह मोबाईल एप्प से समस्त संस्थाओं का निरीक्षण सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें। संस्था में किसी भी अप्रिय स्थिती के लिए संस्था प्रमुख, संबंधित जिला अधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
6. प्रतिमाह की 5 तारीख तक समस्त शासकीय/विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं, डीडीआरसी एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को माह में किये गये कार्य की जानकारी विभागीय पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये गये है, किन्तु केवल कुछ ही संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा ही मासिक रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है की संचालनालय में जारी निर्देशों के अनुसार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिमाह की 5 तारीख तक समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं, डी.डी.आर.सी. एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से मासिक रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं मासिक रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव संचनालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे ।

7. संस्थाओं को अनुदान ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत ही दिये जाने के निर्देश है, किन्तु संचालनालय से जारी निर्देशों के अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्यवाही नही की जा रही है। बिना ऑनलाईन आवेदन किये अनुदान दिया जाना वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है , इसके लिए जिला अधिकारी संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।
8. कर्मयोगी iGot पर सीखें सप्ताह अंतर्गत सभी अधिकारी/कर्मचारियों से न्यूनतम 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
9. मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत निर्देशित किया गया है कि ऑडिट मेमो अनुसार योजनांर्गत वर्ष 2018-19 की जारी राशि 858.84 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रदाय राशि रूपये 822.96 लाख सहित कुल राशि रूपये 1681.80 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ना होने के संबंध में ऑडिट आपत्ति दर्ज की गई है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने जिले में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के भीतर अनिवार्यत: भिजवाना सुनिश्चित करे, ताकि लंबित ऑडिट कंडिकाओं का निराकरण किया जा सकें। समस्त जिलें को योजनांतर्गत राशि की डिमांड भी भिजवाने के निर्देश दिये गये।
10. जिन पेंशन हितग्राहियों की E-KYC ना होने के कारण पेंशन रोकी गई है, उनके घर घर जाकर सत्यापन कराया जाये। पेंशन पोर्टल पर लंबित प्रकरण में जिले स्तर से जो भी कार्यवाही होना है उसे तत्काल करे, ताकि प्रकरण पोर्टल पर लंबित नही दिखे ।
11. मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन/दिव्यांग विवाह/कल्याणी विवाह के आवेदन सबसे अधिक प्रकरण छतरपुर, जबलपुर, ग्वालियर, छिन्दवाड़ा, इंदौर में लंबित है। एक सप्ताह में प्रकरणो का निराकरण सुनिश्चित करे ।
12. नशामुक्ति अभियान अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त से 13 अक्टूबर 2025 तक नशाबंदी पखवाड़े के आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रमुख सचिव महोदया द्वारा विडियों कान्फेंसिंग के दौरान समस्त जिला अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1. अशासकीय संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव विभागीय पोर्टल पर On Board ऑनलाईन अनिवार्यत: किया जाए।
2. मोबाईल एप से निरीक्षण के संबंध में माह अगस्त 2025 मे केवल 14 जिलों ने ही एप के माध्यम से संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है यह स्थिति ठीक नही है। संस्थाओं का निरीक्षण प्रतिमाह अलग अलग सामा.सुरक्षा अधिकारियों से किया जाये एवं समस्त सामा.सुरक्षा अधिकारी प्रतिमाह संस्थाओं का निरीक्षण कर प्रतिवेदन भिजवाये अन्यथा उचित कार्यवाही हेतु शासन को बाध्य होना पड़ेगा।
3. विभागीय पोर्टल पर संस्थाओं की मासिक रिपोर्ट दर्ज नही की जा रही है। माह अगस्त 2025 की मासिक रिपोर्ट 15 सितम्बर तक दर्ज कराना सुनिश्चित करें। आगामी माह सितम्बर 2025 से मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह की 5 तारीख तक दर्ज की जाएं।
4. HRMS पोर्टल पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को On Board नही किया गया है खंडवा की स्थिति नगण्य है। कृपया त्वरित कार्यवाही करें।
5. DDRC के कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को नही भेजे गये है या भेज नही रहे है। इसके लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा, अत: प्रस्ताव 30 नवम्बर 2025 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. DDRC में कार्यरत कर्मचारी जिले मे कही अन्य कार्यालयों मे संलग्न तो नही है इस आशय का प्रमाण पत्र कलेक्टर के हस्ताक्षर से भिजवाएं।
7. रायसेन जिला कार्यालय से कई कर्मचारी जिसका प्रकरण लंबित है अन्य कार्यालय मे कार्य कर रहे

है उन्हे तत्काल वापस बुलाया जाये ।

8. विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला विदिशा के प्रभारी अधिकारी बैठक मे उपस्थित नही होने से समस्त जिलो के प्रभारी अधिकारियों को भी आगामी आयोजित होने वाली वी.सी. में अनिवार्यत: उपस्थित रहने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाएं।
9. विशेष शिक्षण प्रशिक्षण बौद्धिक दिव्यांगता क्षेत्र में शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुर्नवास संस्थान सीहोर मे लेने के निर्देश दिये गये तथा प्रशिक्षार्थी संस्थान मे ही रूककर प्रशिक्षण ले। कही अन्य स्थान से अप-डाउन न करे जिला भोपाल के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि विशेषकर भोपाल के प्रशिक्षार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करे ।
10. समस्त सामा.सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर नशाबंदी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार प्रतिदिन एक स्कूल/कॉलेज में नियमित जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित करें एवं ePledges दिलवाये, सभी दिव्यांग विशेष विद्यालय/संस्थाओं एवं वृद्धाश्रमों मे नशामुक्ति शपथ दिलाएं तथा सभी सामा.सुरक्षा अधि.रिपोर्ट करने एवं फोटो भी भेजने के निर्देश दिये गये।
11. NMBA वेबलिंक/पोर्टल/डेशबोर्ड पर आयोजित समस्त ePledges/गतिविधियों को अपलोड करना सुनिश्चित करें, समस्त जिला अधिकारी आयोजित गतिविधियों को ePledges/ऑनलाईन शपथ की सख्त समीक्षा करते रहे एवं प्रति सप्ताह की प्रगति से निर्धारित प्रारूप में संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Ramesh Kumar Singh
Date: 25-09-2025
13:12:38

Ramesh Kumar Singh
DEPUTY DIRECTOR
कार्यलय प्रमुख /उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/ /2025
भोपाल दि. /09/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला समन्वयक एवं समग्र संयोजक और समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी उल्लेखित बिन्दुओं को अपने-अपने जिलों से समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण कर इस कार्यालय को अवगत कराये।

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण, म.प्र.